

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमंडल खण्डवा (म०प्र०)

दूरभाष क (0733)-2223244 ई-मेल dfot.khd@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./कोदवार/2025/ 198
प्रति,

खंडवा, दिनांक ०७-०१-२०२५

कार्यपालन यंत्री,
नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25
नर्मदानगर जिला खण्डवा

विषय:-

Diversion of 5.700 ha Reserved Forest Land for construction of Kodwar 33 KV Transmission line to Pump House 1 and Pump House-2 in Village - Kodwar in favour of Executive Enginner, Narmada Development Division No. 25 in Khandwa District of Madhya Pradesh.

संदर्भ:-

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ-4/112 /2021/10-11/2878 दिनांक 18.08.2022 एवं वनसंरक्षक खण्डवा वृत्त खण्डवा का पत्र पृ०क्रमांक 6305 दिनांक 28.10.2024 एवं कार्यालयीन पत्र क्रमांक 5255 दिनांक 04.11.2024

—000—

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में लेख है कि Diversion of 5.700 ha Reserved Forest Land for construction of Kodwar 33 KV Transmission line to Pump House 1 and Pump House-2 in Village - Kodwar in favour of Executive Enginner, Narmada Development Division No. 25 in Khandwa District of Madhya Pradesh के संबंध में संदर्भित पत्र के निर्देशानुसार औषधीय वृक्षारोपण योजना की राशि 91,15,461/- रूपयें ऑनलाईन कैम्पा मद में जमा कराते हुए साथ ही पर्यवेक्षण शुल्क की राशि 9,11,546/- रूपयें वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमंडल खण्डवा के नाम से बैंक ड्राफ्ट से अथवा म.प्र कोषालय की वेबसाईट www.mptreasury.org के माध्यम से राजस्व मद 0406-01-800-0229 में जमा कराकर आवश्यक अभिलेख के साथ पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

वनमण्डलाधिकारी,

सामान्य वनमंडल खंडवा

खंडवा, दिनांक ०७-०१-२०२५

पृष्ठांकन क्रमांक/मा.चि./कोदवार/2025/ 199

प्रतिलिपि :-

- 1- वनसंरक्षक खण्डवा वृत्त खण्डवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- उपवनमण्डलाधिकारी खण्डवा/पुनासा सामान्य की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 3- वन परिक्षेत्राधिकारी, खण्डवा एवं मूंदी सामान्य की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आवेदक संस्था से उक्त राशि जमा कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावे।

वनमण्डलाधिकारी,

सामान्य वनमण्डल खण्डवा